

प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 07.09.2021

गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के दिशा निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के मार्ग दर्शन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के निकट पर्यवेक्षण में गिरफ्तार शुदा एक नफर वांछित अभियुक्त मु0अ0सं0 349/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम अभियुक्त सन्त कुमार गौतम उर्फ संतोष पुत्र राम अधार निवासी उनौला दोयम थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 07.09.2021 को समय करीब 07.05 बजे ग्राम उनौला दोयम थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सन्त कुमार गौतम उर्फ संतोष पुत्र राम अधार निवासी उनौला दोयम थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व समय व स्थान-

दिनांक 07.09.2021 समय करीब 07.05 बजे, ग्राम उनौला दोयम थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 349/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गुलरिहा, गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- प्रभारी निरीक्षक विनोद अग्निहोत्री थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर,
- 2- उ0नि0 दीनबन्धु प्रसाद थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर,
3. का0 भुपेन्द्र यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर,
4. का0 रामसिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर,